Regarding Diploma in Elementary Education

श्री गौरव गोगोई **(**जोरहाट**) :** सभापति महोदया, मैं उन 12 लाख छात्रों के हित में खड़ा हुआ हूँ, जिन्होंने सरकार की तरफ से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन को 18 महीनों में कंप्लीट कर लिया, लेकिन आज भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है ।

मैं संक्षेप में बताता हूँ कि वर्ष 2017 में केन्द्र सरकार एक नोटिफिकेशन निकालती है कि हम चाहते हैं कि भारत के अप्रशिक्षित अध्यापक डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन में दो वर्ष का कोर्स कर लें । लगभग 12 लाख लोगों ने इस कोर्स को लिया । लगभग 18 महीनों में उनका यह कोर्स पूरा हुआ । उसके बाद भारत सरकार यह कहते हुए दोबारा ऑर्डर निकालती है कि अब दो वर्ष का नहीं, अगर 18 महीने हो गए तो इसको हम दो वर्ष के बराबर मानेंगे और ये लोग काम कर पाएंगे । उसके बाद इन लोगों ने भारत सरकार की बात सुनी और वे काम पर लग गए ।

उसके बाद वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट रूलिंग निकालता है कि 18 महीने का कोर्स और दो वर्ष का कोर्स, दोनों को एक समान नजर से नहीं देखा जा सकता है । इसलिए जिन लोगों ने 18 महीने का कोर्स किया है, उनको अब हम नौकरी जारी रखने नहीं दे सकते हैं । अब ये लोग कहां जाए? ये लोग सरकार के इश्तिहार को देकर इस डिप्लोमा कोर्स में भर्ती हुए । इन्होंने सरकार का ऑर्डर मानते हुए 18 महीने कंप्लीट किए और फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई कि 18 महीने पर्याप्त नहीं हैं तो फिर ये लोग कहां जाए?

मैं चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग इन छात्रों का संज्ञान लें । ये लगभग 12 लाख छात्र हैं और इनमें काफी ज्यादा असम से भी हैं, उत्तर पूर्वांचल से भी हैं और उत्तराखंड से भी हैं । मैं चाहता हूँ कि इनको न्याय मिले । अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक गजट नोटिफिकेशन निकाल देगा तो इन 12 लाख छात्रों को इंसाफ मिलेगा ।